



Know Your Customer & Anti-Money Laundering Policy

द्वारा सिफारिश
सीईओ

उत्पत्ति की तिथि - 6.8.2011

आगामी संशोधन की तिथि:- 1.10.2013, 11.11.2015, 25.7.2017, 10.5.2018, 27.4.2019, 11.7.2020, 8.2.21,
30.04.2022, 28.04.2023 और 19.6.2023

संस्करण-12

के द्वारा अनुमोदित:

निदेशक मंडल

अनुमोदन की तिथि:2.11.23

अनुक्रमणिका

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठों
1	<u>अध्याय – I: प्रारंभिक</u>	3 – 9
2	<u>उद्देश्य</u>	3
3	<u>प्रयोज्यता</u>	3
4	<u>परिभाषाएं</u>	3
5	<u>अध्याय – II: सामान्य</u>	१० – ११
6	<u>एमएचएफसीएल द्वारा धन शासन और आतंकवादों वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन</u>	10
7	<u>मनोनीत निदेशक</u>	11
8	<u>प्रधान अधिकारी</u>	11
9	<u>केवाईसी नीति का अनुपालन</u>	11
10	<u>अध्याय – III: ग्राहक स्वीकृति नीति</u>	12
11	<u>अध्याय – IV: जोखिम प्रबंधन</u>	१३
12	<u>अध्याय – V: ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)</u>	14
१३	<u>अध्याय – VI: ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया</u>	15 – 28
14	<u>भाग I - ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया के मामले में व्यक्तियों</u>	15 – 20
15	<u>भाग II – एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए CDD उपाय</u>	21
16	<u>भाग III – कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय</u>	22
17	<u>भाग IV – लाभार्थी स्वामी की पहचान</u>	23
18	<u>भाग V – चल रही उचित तत्परता</u>	24 – 26
19	<u>भाग VI – उन्नत उचित परिश्रम प्रक्रिया</u>	27 – 28
20	<u>अध्याय – VII: रिकॉर्ड प्रबंधन</u>	29
21	<u>अध्याय VIII - वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं इकाई – भारत</u>	30
22	<u>अध्याय – IX: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएं/दायित्व – अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संचार</u>	31 – 32
23	<u>अध्याय – X: अन्य निदेश</u>	33 – 34
23	<u>अनुलग्नक I – डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया</u>	35 – 36
24	<u>अनुलग्नक II – जोखिम श्रेणियाँ</u>	37 – 38
25	<u>अनुलग्नक III – संदिग्ध लेनदेन की सूची</u>	39 – 40

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी आवास वित्त कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि अपने ग्राहक को जानें और धन शोधन विरोधी उपायों पर एक उचित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए और उसे मंजूरी के साथ लागू किया जाए। का तख्ता। नीति था को बिछाना नीचे प्रणाली और प्रक्रियाओं को मदद नियंत्रण वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेनदेन की पहचान, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना और बड़ी मात्रा में नकद लेनदेन की सावधानीपूर्वक जांच/निगरानी करना। एनएचबी/आरबीआई की सलाह के अनुसार, बोर्ड की मंजूरी से अपने ग्राहक को जानें और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति (नीति) लागू की गई।

तब से, नियामकों द्वारा जारी केवाईसी और एएमएल पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड के अनुमोदन से नीति की समीक्षा की गई और उसे संशोधित किया गया।

इस नीति को संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्टिंग नीति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (MHFCL), जो NHB/RBI के साथ पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) है, अपने ग्राहकों को आवास ऋण, संपत्ति ऋण और प्लॉट फाइनेंस प्रदान करती है।

एमएचएफसीएल पारदर्शिता, अनुपालन और निष्पक्ष व्यवहार के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। व्यापार ऋण आवश्यकताओं का आवास में ए समय पर और असरदार ढंग। यह का इरादा रखता है वह एचएफसी (एमएचएफसीएल) के कारोबार को वर्तमान वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाएगा, जिसमें दक्षता, ग्राहक-उन्मुखीकरण और कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाएगा।

एमएचएफसीएल एनएचबी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा और यदि आवश्यक हो तो इस कोड में उचित संशोधन करेगा ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके। यह नीति एमएचएफसीएल की सभी शाखाओं/व्यावसायिक खंडों पर लागू है।

में शर्तों का प्रावधानों का रोकथाम का काले धन को वैध बनाना कार्य, 2002 और रोकथाम का काले धन को वैध बनाना (रखरखाव का रिकॉर्ड्स) नियम, 2005, जैसा संशोधन से समय को समय द्वारा सरकार भारत जैसा अधिसूचित द्वारा सरकार का भारत, विनियमित इकाइयां, (एचएफसी) हैं आवश्यक को अनुसरण करना कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं जबकि उपक्रम ए लेन-देन दोनों में से एक द्वारा की स्थापना एक खाता-आधारित संबंध या अन्यथा और निगरानी करना उनका लेनदेन. एचएफसी करेगा लेना कदम को अमल में लाना प्रावधानों का पूर्वकथित कार्य और नियम, शामिल आपरेशनल निर्देश जारी किए गए में इस प्रकार के अनुसरण संशोधन(संशोधन)।

में व्यायाम का पॉवर्स प्रदत्त द्वारा धारा 35ए का बैंकिंग विनियमन कार्य, 1949, बैंकिंग विनियमन कार्य (एएसीएस), 1949, पढ़ना साथ अनुभाग 56 का कार्य वही, नियम 9(14) का धन शोधन निवारण (रिकॉर्डों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अनुपालन में, भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश जारी किए हैं, जिनका प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को पालन करना होगा।

अध्याय – I: प्रारंभिक

1. उद्देश्य

नीति के मूल उद्देश्य हैं:

- को सक्षम अनुपालन को "जानना आपका ग्राहक" (केवाईसी) नीतियों और प्रक्रियाओं जारीकर्ता एनएचबी/आरबीआई
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना, 2002.

2. प्रयोज्यता

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दस्तावेज़ में बताई गई केवाईसी-एएमएल नीति इस संबंध में किसी भी अन्य दस्तावेज़/प्रक्रिया/परिपत्र/पत्र/निर्देश में निहित किसी भी अन्य चीज़ पर लागू होगी (केवाईसी-एएमएल)। यह नीति एमएचएफसीएल के सभी वर्टिकल/उत्पादों पर लागू होगी, चाहे वे मौजूदा हों या भविष्य में शुरू किए जाने वाले हों।

केवाईसी और एएमएल नीति दिशानिर्देश एमएचएफसीएल के ग्राहकों, विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं और कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्यों पर लागू होते हैं। कार्यों को इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और अन्य आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों आदि को डिजाइन करते समय उन्हें शामिल करना चाहिए।

इस नीति को एनएचबी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित आंतरिक परिचालन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। समय।

3. परिभाषाएँ:

इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के अनुसार निर्दिष्ट अर्थ वाले शब्द:
 - "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में दिया गया है;
 - "अधिनियम" और "नियम" से तात्पर्य क्रमशः धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा उसके संशोधनों से है।
 - आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में, "प्रमाणीकरण" का तात्पर्य आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (सी) के तहत परिभाषित प्रक्रिया से है।
 - लाभकारी स्वामी (बीओ)
 - जहां **ग्राहक एक कंपनी है**, वहां लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, नियंत्रण स्वामित्व हित रखता है या अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

स्पष्टीकरण- इस उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ-

- "नियंत्रणकारी स्वामित्व हित" का अर्थ है कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व/अधिकार।
- "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते के आधार पर शामिल होगा।

- b) जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, वहां लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व/हकदारी रखता है।
- c) जहां ग्राहक एक अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय है, वहां लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व/हकदारी रखता है।

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में सोसायटी शामिल हैं। जहां ऊपर (ए), (बी) या (सी) के तहत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, वहां लाभकारी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है।

- d) जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, वहां लाभकारी स्वामी(स्वामियों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।
- v. "प्रमाणित प्रतिलिपि" - विनियमित संस्था द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अर्थ होगा, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, वहां आधार संख्या के प्रमाण की प्रतिलिपि या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की मूल प्रति के साथ तुलना करना और विनियमित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिलिपि पर उसे दर्ज करना।
बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले में, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 {फेमा 5(आर)} में परिभाषित किया गया है, वैकल्पिक रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है:
- भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
 - विदेशी बैंकों की शाखाएँ जिनके साथ भारतीय बैंकों के संबंध हैं,
 - विदेश में नोटरी पब्लिक,
 - न्यायालय मजिस्ट्रेट,
 - न्यायाधीश,
 - उस देश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।
- vi. "केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) का तात्पर्य नियमों के नियम 2(1) के तहत परिभाषित एक इकाई से है, जो ग्राहक के डिजिटल रूप में केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने और पुनः प्राप्त करने के लिए है।
- vii. "नामित निदेशक" से आशय पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्था द्वारा नामित व्यक्ति से है और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
- a. यदि विनियमित संस्था एक कंपनी है तो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् प्राधिकृत,
 - b. प्रबंध साझेदार, यदि आरई एक साझेदारी फर्म है,
 - c. स्वामी, यदि आरई एक स्वामित्व वाली संस्था है,
 - d. प्रबंध ट्रस्टी, यदि आरई एक ट्रस्ट है,
 - e. एक व्यक्ति या व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जो विनियमित संस्था के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि विनियमित संस्था एक असंबद्ध संघ या व्यक्तियों का निकाय है, और
 - f. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन या समकक्ष पद पर आसीन व्यक्ति को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित किया गया है।
- स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" शब्दों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उन्हें दिया गया है।

- viii. "डिजिटल केवाईसी" का अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो लेना और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार

रखने का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, साथ ही उस स्थान का अक्षांश और देशांतर भी जहां अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली जा रही है।

- ix. "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (पी) में दिया गया है।
- x. "समतुल्य ई-दस्तावेज" का अर्थ है किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य, जो ऐसे दस्तावेज के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते को जारी किए गए दस्तावेज शामिल हैं।
- xi. "समूह" - "समूह" शब्द का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ई) में दिया गया है।
- xii. "अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पहचानकर्ता" का अर्थ केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक को सौंपा गया विशिष्ट नंबर या कोड है।
- xiii. "गैर-लाभकारी संगठन" (एनपीओ) का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई इकाई या संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी समान राज्य कानून के तहत ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है।
- xiv. "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो। बशर्ते कि,
- a. जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रारूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- b. जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेज या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माने जाएंगे: -
- (i) किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइपड गैस, पानी का बिल) का उपयोगिता बिल जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं हो।
- (ii) संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद।
- (iii) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता दिया गया हो।
- (iv) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ताओं द्वारा आवास के आबंटन के पत्र तथा ऐसे नियोक्ताओं के साथ आधिकारिक आवास आबंटित करने वाले अवकाश और लाइसेंस समझौते।
- c. ग्राहक को उपरोक्त 'बी' में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करना होगा।
- d. जहां विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, ऐसे मामले में विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही उसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जिसमें नाम में ऐसे परिवर्तन का संकेत हो।
- xv. "ऑफलाइन सत्यापन" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (पीए) में दिया गया है।

- xvi. "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो अधिनियम में निर्दिष्ट है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- एक व्यक्ति,
 - एक हिंदू अविभाजित परिवार,
 - एक कंपनी,
 - एक फर्म,
 - व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,
 - प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त व्यक्तियों (क से ड) में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आता है, तथा
 - उपरोक्त व्यक्तियों (क से च) में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा।
- xvii. "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं, जिनमें राष्ट्र/सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं।
- xviii. "प्रधान अधिकारी" से आशय प्रबंधन स्तर पर विनियमित संस्था द्वारा नामित अधिकारी से है, जो नियमों के नियम 8 के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
- xix. "संदिग्ध लेनदेन" का अर्थ नीचे परिभाषित "लेनदेन" है, जिसमें एक प्रयास किया गया लेनदेन भी शामिल है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो सद्भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए:
- संदेह का उचित आधार उत्पन्न करता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय शामिल हो सकती है, चाहे इसमें शामिल मूल्य कुछ भी हो; या
 - ऐसा प्रतीत होता है कि यह असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में किया गया है; या
 - ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई आर्थिक तर्क या *वास्तविक* उद्देश्य नहीं है; या
 - इससे संदेह का उचित आधार पैदा होता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।
- स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जिनमें धन का उपयोग आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या किसी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन लोगों द्वारा किया जाना संदिग्ध है जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं।
- xx. 'लघु खाता' से तात्पर्य बचत खाते से है जो पीएमएल नियम, 2005 के उपनियम (5) के अनुसार खोला जाता है। लघु खाते के परिचालन का विवरण तथा ऐसे खाते के लिए नियंत्रण का विवरण धारा 23 में निर्दिष्ट किया गया है।
- xxi. "लेन-देन" का अर्थ है खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, हस्तांतरण, वितरण या उसकी व्यवस्था और इसमें शामिल हैं:
- खाता खोलना।
 - किसी भी मुद्रा में धन जमा करना, निकालना, विनिमय करना या हस्तांतरण करना, चाहे वह नकद हो या चेक, भुगतान आदेश या अन्य साधनों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक माध्यमों द्वारा।
 - सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग।
 - किसी भी प्रत्ययी रिश्ते में प्रवेश करना।
 - किसी संविदात्मक या अन्य कानूनी दायित्व के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या
 - किसी कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था की स्थापना या सृजन करना।

(b) इस निर्देश में निर्दिष्ट अर्थ वाले शब्द, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नीचे निर्दिष्ट अर्थ वाले होंगे:

- i. "सामान्य रिपोर्टिंग मानक" (सीआरएस) का अर्थ कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वचालित रूप से सूचना के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग मानक हैं।
- ii. संवाददाता बैंकिंग: संवाददाता बैंकिंग एक बैंक (संवाददाता बैंक) द्वारा दूसरे बैंक (प्रतिवादी बैंक) को बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान है। प्रतिवादी बैंकों को कई तरह की सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें नकदी प्रबंधन (जैसे, विभिन्न मुद्राओं में ब्याज वाले खाते), अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफ़र, चेक समाशोधन, खातों के माध्यम से भुगतान और विदेशी मुद्रा सेवाएँ शामिल हैं।
- iii. "ग्राहक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विनियमित संस्था (आरई) के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में संलग्न व्यक्ति कार्य कर रहा है।
- iv. "वॉक-इन ग्राहक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका आरई के साथ खाता-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन वह आरई के साथ लेनदेन करता है।
- v. "ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)" का अर्थ है विश्वसनीय और स्वतंत्र पहचान स्रोतों का उपयोग करके ग्राहक और लाभकारी स्वामी की पहचान करना और उनका सत्यापन करना।

स्पष्टीकरण - खाता आधारित संबंध प्रारंभ करते समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक राशि का कभी-कभार लेनदेन करते समय, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन के रूप में जो आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हों, या कोई अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण परिचालन, सीडीडी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) ग्राहक की पहचान, विश्वसनीय और स्वतंत्र पहचान स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, जहां लागू हो, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

(ख) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति तथा उसके स्वामित्व एवं नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

(ग) यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक किसी लाभकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है और लाभकारी स्वामी की पहचान करना तथा पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करते हुए, लाभकारी स्वामी की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठाना।

- vi. "ग्राहक पहचान" का अर्थ है सी.डी.डी. की प्रक्रिया शुरू करना।
- vii. "एफएटीसीए" का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं या विदेशी संस्थाओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता रखता है, जिनमें अमेरिकी करदाताओं का पर्याप्त स्वामित्व हित है।
- viii. "आईजीए" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार लाने और यूएसए के एफएटीसीए को लागू करने के लिए भारत और यूएसए सरकारों के बीच अंतर-सरकारी समझौता।
- ix. "केवाईसी टेम्पलेट्स" का अर्थ व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए केवाईसी डेटा को एकत्रित करने और सीकेवाईसीआर को रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए तैयार किए गए टेम्पलेट्स से है।
- x. "गैर-आमने-सामने वाले ग्राहक" से तात्पर्य उन ग्राहकों से है जो एमएचएफसीएल की शाखा/कार्यालयों में आए बिना या एमएचएफसीएल के अधिकारियों से मिले बिना खाते खोलते हैं।
- xi. "चल रही उचित तत्परता" का अर्थ खातों में लेनदेन की नियमित निगरानी करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, धन/संपत्ति के स्रोत के बारे में आरई के ज्ञान

के अनुरूप हैं।

- xii. भुगतान योग्य खाते: भुगतान योग्य खाते शब्द से तात्पर्य ऐसे संवाददाता खातों से है, जिनका उपयोग तीसरे पक्ष द्वारा सीधे अपनी ओर से व्यापार करने के लिए किया जाता है।
- xiii. "आवधिक अद्यतन" का अर्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेज़, डेटा या जानकारी को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आवधिकता पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाए।
- xiv. "विनियमित संस्थाएं" (आरई) का अर्थ है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) / सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी / सीसीबी) और कोई अन्य इकाई जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस दिया गया है, जिसे एक समूह के रूप में 'बैंक' कहा जाएगा।
 - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)
 - सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)
 - सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता (पीएसपी)/सिस्टम प्रतिभागी (एसपी) और प्रीपेड भुगतान उपकरण जारीकर्ता (पीपीआई जारीकर्ता)
 - सभी प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) जिनमें वे भी शामिल हैं जो विनियामक द्वारा विनियमित धन हस्तांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के एजेंट हैं।
- xv. शेल बैंक" का अर्थ है ऐसा बैंक जिसकी उस देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है जिसमें इसे शामिल किया गया है और लाइसेंस प्राप्त है, और जो किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबद्ध नहीं है जो प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के अधीन है। भौतिक उपस्थिति का अर्थ है किसी देश के भीतर स्थित सार्थक दिमाग और प्रबंधन। केवल एक स्थानीय एजेंट या निम्न-स्तरीय कर्मचारियों का अस्तित्व भौतिक उपस्थिति का गठन नहीं करता है।
- xvi. "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)": चेहरे की पहचान के साथ ग्राहक की पहचान करने और आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक की उचित जांच के लिए ग्राहक की पहचान करने का एक वैकल्पिक तरीका, जिसमें ग्राहक के साथ सहज, सुरक्षित, लाइव, सूचित सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल बातचीत की जाती है, ताकि सीडीडी उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान जानकारी प्राप्त की जा सके और स्वतंत्र सत्यापन के माध्यम से ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का पता लगाया जा सके और प्रक्रिया का ऑडिट ट्रेल बनाए रखा जा सके। निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को इस मास्टर निर्देश के उद्देश्य के लिए आमने-सामने सीआईपी के बराबर माना जाएगा।
- "वायर ट्रांसफ़र" से संबंधित परिभाषाएँ
 - बैच स्थानांतरण: बैच स्थानांतरण कई अलग-अलग वायर स्थानांतरणों से मिलकर बना स्थानांतरण है, जो एक ही वित्तीय संस्थाओं को भेजे जाते हैं, लेकिन अंततः ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए हो भी सकते हैं और नहीं भी।
 - लाभार्थी: लाभार्थी से तात्पर्य किसी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था से है, जिसे/जिसे प्रवर्तक द्वारा अनुरोधित वायर ट्रांसफ़र के प्राप्तकर्ता के रूप में पहचाना जाता है।
 - लाभार्थी आर.ई.: यह आरबीआई द्वारा विनियमित एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है, जो आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से सीधे या मध्यस्थ आर.ई. के माध्यम से वायर ट्रांसफ़र प्राप्त करता है और लाभार्थी को धन उपलब्ध कराता है।
 - कवर भुगतान: कवर भुगतान से तात्पर्य वायर ट्रांसफ़र से है, जो आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी वित्तीय संस्थान को सीधे भेजे गए भुगतान संदेश को आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान तक एक या अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों के माध्यम से फंडिंग निर्देश (कवर) के रूटिंग के साथ जोड़ता है।
 - क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र: क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र किसी भी वायर ट्रांसफ़र को संदर्भित करता है जहाँ ऑर्डर देने वाला वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान अलग-अलग देशों में स्थित हैं। यह शब्द वायर ट्रांसफ़र की किसी भी श्रृंखला को भी संदर्भित करता है जिसमें शामिल वित्तीय संस्थानों में से कम से

कम एक दूसरे देश में स्थित है।

- g. घरेलू वायर ट्रांसफर: घरेलू वायर ट्रांसफर से तात्पर्य किसी भी वायर ट्रांसफर से है, जहाँ ऑर्डर देने वाला वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान भारत में स्थित हैं। इसलिए, यह शब्द वायर ट्रांसफर की किसी भी श्रृंखला को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर होती है, भले ही भुगतान संदेश को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली किसी अन्य देश में स्थित हो।
 - h. वित्तीय संस्थान: वायर-ट्रांसफर अनुदेशों के संदर्भ में, 'वित्तीय संस्थान' शब्द का वही अर्थ होगा, जो समय-समय पर संशोधित एफएटीएफ अनुशंसाओं में दिया गया है।
 - i. मध्यस्थ आरई: मध्यस्थ आरई से तात्पर्य आरबीआई द्वारा विनियमित एक वित्तीय संस्थान या किसी अन्य इकाई से है, जो एक *सीरियल* या *क्वर* भुगतान श्रृंखला में वायर ट्रांसफर के मध्यस्थ तत्व को संभालता है और जो ऑर्डर करने वाले वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान, या किसी अन्य मध्यस्थ वित्तीय संस्थान की ओर से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है और प्रेषित करता है।
 - j. ऑर्डरिंग आरई : ऑर्डरिंग आरई से तात्पर्य आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थान से है, जो वायर ट्रांसफर शुरू करता है और प्रवर्तक की ओर से वायर ट्रांसफर के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर धन हस्तांतरित करता है।
 - k. प्रवर्तक: प्रवर्तक से तात्पर्य उस खाताधारक से है जो उस खाते से वायर ट्रांसफर की अनुमति देता है, या जहां कोई खाता नहीं है, वहां वह प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति जो वायर ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर देने वाली वित्तीय संस्था के पास ऑर्डर देता है।
 - l. धारावाहिक भुगतान: धारावाहिक भुगतान से तात्पर्य भुगतान की प्रत्यक्ष अनुक्रमिक श्रृंखला से है, जहां वायर ट्रांसफर और संबंधित भुगतान संदेश, आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान तक सीधे या एक या अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों (जैसे, संवाददाता बैंक) के माध्यम से एक साथ यात्रा करते हैं।
 - m. सीधे-सीधे प्रसंस्करण: सीधे-सीधे प्रसंस्करण से तात्पर्य ऐसे भुगतान लेनदेन से है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं।
 - n. विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या: विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों के संयोजन को संदर्भित करती है, जिसका निर्धारण भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा, वायर ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त भुगतान और निपटान प्रणाली या संदेश प्रणाली के प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है।
 - o. वायर ट्रांसफर: वायर ट्रांसफर से तात्पर्य किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी प्रवर्तक की ओर से किए गए किसी लेनदेन से है, जिसका उद्देश्य लाभार्थी वित्तीय संस्थान में किसी लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराना है, भले ही प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हों।
- (c) अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें इसमें परिभाषित न किया जाए, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1935, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए विनियमों, किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग के रूप में, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।

अध्याय – II: सामान्य

1. एमएचएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नीति है। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय IV के प्रावधानों के तहत दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से एक समूह-व्यापी नीति लागू की जाए।

एमएचएफसीएल नीति ढांचा इस संबंध में विनियामक निर्देशों सहित पीएमएल अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहता है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रसार वित्तपोषण और अन्य संबंधित जोखिमों से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त कानूनी/विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए, एमएचएफसीएल जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एफएटीएफ मानकों और एफएटीएफ मार्गदर्शन नोटों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार कर सकता है।

2. **केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख तत्व शामिल हैं:**

- (a) ग्राहक स्वीकृति नीति।
- (b) जोखिम प्रबंधन।
- (c) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)।
- (d) मॉनिटरिंग करना लेन-देन.

3. **एमएचएफसीएल द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन:**

- (a) एमएचएफसीएल अपने ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण चैनलों के लिए धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए पहचान, आकलन और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'धन शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करेगा। वगैरह।

मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र जोखिम के स्तर और लागू किए जाने वाले शमन के उचित स्तर और प्रकार का निर्धारण करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, एमएचएफसीएल समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेगा, जिसे नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर एमएचएफसीएल के साथ साझा कर सकते हैं।

- (b) एचएफसी की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुपात में होगा। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता एमएचएफसीएल के बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसे इस संबंध में शक्ति सौंपी गई है, जो जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के अनुरूप है। हालाँकि, इसकी कम से कम समीक्षा की जानी चाहिए प्रतिवर्ष।
- (c) इस अभ्यास का परिणाम बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसे इस संबंध में शक्ति सौंपी गई है और यह सक्षम प्राधिकारियों और स्व-नियामक एजेंसियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। शरीर।
- (d) एमएचएफसीएल जोखिमों (स्वयं या राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए) के शमन और

प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। एमएचएफसीएल पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए सीडीडी कार्यक्रम लागू करेगा। इसके अलावा, एमएचएफसीएल नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगा।

4. मनोनीत निदेशक :

एमएचएफसीएल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को धन शोधन निवारण (संशोधन) नियम 2013 के अनुसार नामित निदेशक नियुक्त किया है। वह पीएमएलए और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत समग्र अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। नामित निदेशक का नाम, उनका पदनाम, पता और समय-समय पर होने वाले बदलावों सहित संपर्क विवरण निदेशक, एफआईयू-आईएनडी और एनएचबी/आरबीआई को भी सूचित किया जाएगा।

5. प्रधान अधिकारी:

एमएचएफसीएल ने कंपनी के हेड क्रेडिट को 'प्रिंसिपल ऑफिसर' के रूप में नामित किया है। इस प्रकार नामित प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम, उसका पदनाम, पता और समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों सहित संपर्क विवरण निदेशक, एफआईयू-आईएनडी और एनएचबी/आरबीआई को भी सूचित किया जाएगा। वह कानून के तहत अपेक्षित सभी लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग तथा सूचना साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. केवाईसी का अनुपालन नीति

(a) एमएचएफसीएल निम्नलिखित माध्यम से केवाईसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

- i. केवाईसी के प्रयोजन के लिए परिचालन प्रमुख बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी 'वरिष्ठ प्रबंधन' के रूप में गठित किया जाएगा। अनुपालन।
- ii. प्रधान कार्यालय / अंचल कार्यालय / सर्किल कार्यालय में नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से जिम्मेदारी का आवंटन स्तर।
- iii. एमएचएफसीएल की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं सहित, अनुपालन प्रभाग द्वारा किया जाएगा। हो।
- iv. केवाईसी/एमएल नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित करने और लेखापरीक्षा के लिए त्रैमासिक लेखापरीक्षा नोट्स और अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए समवर्ती/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली समिति।

(b) एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने संबंधी निर्णय लेने का कार्य आउटसोर्स न किया जाए।

अध्याय – III: ग्राहक स्वीकृति नीति

1. एमएचएफसीएल ने एक मजबूत ग्राहक स्वीकृति नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या सूचना का उपयोग करके ग्राहक की पहचान और पते को सत्यापित करना है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक स्वीकृति नीति के कारण किसी भी ग्राहक को परेशान न किया जाए या आम जनता को वित्तीय सेवा से वंचित न किया जाए, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं। वंचित.
2. ग्राहक स्वीकृति नीति में शामिल पहलू की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा वह:
 - (क) कोई भी खाता गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से नहीं खोला गया है।
 - (बी) कोई भी खाता नहीं खोला जाता है, जहां एमएचएफसीएल उचित सीडीडी उपायों को लागू करने में असमर्थ है, या तो ग्राहक के असहयोग के कारण या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/सूचनाओं की अविश्वसनीयता के कारण। एमएचएफसीएल, यदि आवश्यक हो, तो एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगा, जब वह ग्राहक के संबंध में प्रासंगिक सीडीडी उपायों का अनुपालन करने में असमर्थ हो।
 - (ग) सी.डी.डी. प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी लेनदेन या खाता-आधारित संबंध स्थापित नहीं किया जाता है।
 - (घ) खाता खोलते समय तथा आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान केवाईसी प्रयोजन हेतु मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी निर्दिष्ट की गई है।
 - (ई) अतिरिक्त जानकारी, जहां ऐसी सूचना की आवश्यकता एमएचएफसीएल की आंतरिक केवाईसी नीति में निर्दिष्ट नहीं की गई है, ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।
 - (च) एमएचएफसीएल यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया लागू करेगा। इस प्रकार, यदि एमएचएफसीएल का कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक एमएचएफसीएल के साथ दूसरा खाता खोलना चाहता है, तो उसे नए सिरे से सीडीडी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (छ) संयुक्त खाता खोलते समय सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
 - (ज) ऐसी परिस्थितियां जिनमें किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।
 - (i) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली लागू की गई है कि ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल नहीं खाती है, जिसका नाम आरबीआई केवाईसी एमडी के अध्याय IX में दर्शाई गई प्रतिबंध सूची में है।
 - (जे) जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
 - (ट) जहां ग्राहक से समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाता है, एमएचएफसीएल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा।
 - (एल) जहां माल और सेवा कर (जीएसटी) विवरण उपलब्ध हैं, वहां जीएसटी नंबर को जारी करने वाले प्राधिकारी की खोज/सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
3. ग्राहक स्वीकृति नीति के परिणामस्वरूप आम जनता को वित्तीय सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं। वंचित .
4. जहां एमएचएफसीएल को धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह होता है, और उसे उचित रूप से विश्वास होता है कि सीडीडी प्रक्रिया करने से ग्राहक को इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो उसे सीडीडी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, तथा इसके बजाय एफआईयू-आईएनडी के पास एसटीआर दाखिल करना चाहिए।

अध्याय – IV: जोखिम प्रबंधन

1. जोखिम प्रबंधन के लिए, एमएचएफसीएल के पास जोखिम-आधारित दृष्टिकोण होगा जिसमें शामिल हैं :
अगले।
 - (a) ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा श्रेणी, मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर एमएचएफसीएल.
 - (b) ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के लिए एमएचएफसीएल द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं।
 - (c) जोखिम वर्गीकरण ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति और ग्राहक के व्यवसाय और उनके स्थान के बारे में जानकारी, ग्राहकों के साथ-साथ लेनदेन को कवर करने वाले भौगोलिक जोखिम, उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वितरण चैनल, किए गए लेनदेन के प्रकार - नकद, चेक/मौद्रिक उपकरण, वायर ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेनदेन आदि जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
 - (d) ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण तथा ऐसे वर्गीकरण के विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा तथा ग्राहक को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि ग्राहक को इसकी जानकारी न मिल सके।

बशर्ते कि विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों से जोखिम के संबंध में एकत्रित की गई अन्य सूचनाएं गैर-हस्तक्षेपकारी हों तथा उन्हें केवाईसी नीति में निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय – v: ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

1. एमएचएफसीएल निम्नलिखित में ग्राहकों की पहचान करेगा: मामले:

- (a) खाता-आधारित संबंध की शुरुआत ग्राहक।
- (b) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण कार्य करना जो एमएचएफसीएल का खाताधारक नहीं है।
- (c) जब ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो प्राप्त किया।
- (d) एजेंट के रूप में तीसरे पक्ष के उत्पाद बेचना, अपने स्वयं के उत्पाद बेचना, क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान/प्रीपेड/यात्रा कार्ड की बिक्री और रीलोडिंग तथा पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के किसी अन्य उत्पाद को बेचना।
- (e) गैर-खाता आधारित ग्राहक, अर्थात् वॉक-इन ग्राहक के लिए लेनदेन करना, जिसमें शामिल राशि पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक है, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन के रूप में जो आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हों।
- (f) जब एमएचएफसीएल के पास यह मानने का कारण हो कि कोई ग्राहक (खाता-आधारित या वॉक-इन) जानबूझकर पचास हजार रुपये की सीमा से कम लेनदेन की श्रृंखला बना रहा है।
- (g) एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि खाता खोलते समय परिचय की मांग न की जाए।

2. खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से, एमएचएफसीएल, अपने विकल्प के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक परिश्रम पर भरोसा करेगा: स्थितियाँ:

- (a) तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक के उचित परिश्रम के रिकॉर्ड या जानकारी तीसरे पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से तुरंत प्राप्त की जाती है।
- (b) एमएचएफसीएल द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि ग्राहक की उचित तत्परता आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियाँ अनुरोध किए जाने पर तीसरे पक्ष से बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जाएंगी। देरी।
- (c) तीसरे पक्ष को विनियमित, पर्यवेक्षित या निगरानी की जाती है, और उसके पास PML के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की उचित तत्परता और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उपाय मौजूद हैं। कार्यवाही करना।
- (d) तीसरा पक्ष किसी ऐसे देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं होना चाहिए जिसे उच्च माना गया हो जोखिम।
- (e) ग्राहक की उचित सावधानी और लागू होने पर, बढ़ाए गए उचित सावधानी उपायों को अपनाने की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी की होगी। एमएचएफसीएल.

अध्याय - VI: ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया

भाग I - व्यक्तियों के मामले में ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया

1. सीडीडी करने के लिए, एमएचएफसीएल किसी व्यक्ति से खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित प्राप्त करेगा जो किसी से संबंधित लाभकारी मालिक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है कानूनी इकाई:
 - (a) आधार संख्या थे,
 - (i) वह आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक है; या
 - (ii) वह पीएमएल अधिनियम की धारा 11ए की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अधिसूचित एमएचएफसीएल को स्वेच्छा से अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है; या (एए) आधार संख्या होने का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है; या (कख) जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता वहां आधार संख्या होने का प्रमाण या कोई ओवीडी या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो। (एसी) सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; और
 - (b) स्थायी खाता संख्या या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज या आयकर नियम, 1962 में परिभाषित फॉर्म संख्या 60; और
 - (c) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में ऐसे अन्य दस्तावेज, या एमएचएफसीएल द्वारा अपेक्षित समतुल्य ई-दस्तावेज :

बशर्ते कि जहां ग्राहक ने प्रस्तुत किया है,

- i) पीएमएल अधिनियम की धारा 11ए की उपधारा (1) के पहले प्रावधान के तहत अधिसूचित एचएफसी को उपरोक्त खंड (ए) के तहत आधार संख्या प्रदान करने के लिए, एमएचएफसीएल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके ग्राहक के आधार नंबर का प्रमाणीकरण करेगा। इसके अलावा, ऐसे मामले में, यदि ग्राहक केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से अलग वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह एमएचएफसीएल को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।
- ii) उपरोक्त खंड (एए) के तहत आधार रखने का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, एमएचएफसीएल ऑफलाइन सत्यापन करेगा सत्यापन.
- iii) किसी भी ओवीडी के समतुल्य ई-दस्तावेज, एमएचएफसीएल डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा प्रति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए किसी

भी नियम का पालन करें और अनुलग्नक 1 के तहत निर्दिष्ट अनुसार लाइव फोटो लें।

- iv) उपरोक्त खंड (एबी) के तहत कोई ओवीडी या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, एमएचएफसीएल अनुबंध के तहत निर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करेगा। मैं।
- v) उपरोक्त खंड (एसी) के तहत केवाईसी पहचानकर्ता, एमएचएफसीएल धारा 56 के अनुसार सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि सरकार द्वारा आवास वित्त कंपनियों के लिए अधिसूचित तिथि से आगे की अवधि के लिए, डिजिटल केवाईसी करने के स्थान पर, एमएचएफसीएल आधार संख्या या ओवीडी के प्रमाण की प्रमाणित प्रति तथा एक नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर सकता है, जहां समतुल्य ई-दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बशर्ते कि यदि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है, जो वृद्धावस्था या अन्य कारण से चोट, बीमारी या दुर्बलता या इसी तरह के कारणों से है, तो एमएचएफसीएल आधार संख्या प्राप्त करने के अलावा, अधिमानतः ऑफ़लाइन सत्यापन करके या वैकल्पिक रूप से ग्राहक से किसी अन्य ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके पहचान करेगा। इस तरीके से किया गया सीडीडी अनिवार्य रूप से एमएचएफसीएल के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के अपवाद हैंडलिंग भी धारा 8 में अनिवार्य रूप से समवर्ती ऑडिट का एक हिस्सा होगा। एमएचएफसीएल अपवाद हैंडलिंग के मामलों को एक केंद्रीकृत अपवाद डेटाबेस में विधिवत रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करेगा। डेटाबेस को एमएचएफसीएल द्वारा आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण के अधीन किया जाएगा तथा पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: एमएचएफसीएल, जहां उसका ग्राहक आधार संख्या युक्त आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा ग्राहक उचित माध्यम से अपने आधार नंबर को हटा दे या काला कर दे, जहां उपरोक्त परंतुक (i) के अनुसार आधार संख्या का प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: आधार का उपयोग, आधार रखने का प्रमाण आदि, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार होगा।

2. आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके, गैर-आमने-सामने मोड में खोले गए खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:
 - i. प्रमाणीकरण के लिए ग्राहक की ओर से विशिष्ट सहमति होनी चाहिए ओटीपी.

- ii. ऐसे खातों के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन अलर्ट, ओटीपी आदि केवल आधार के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजे जाएं। एमएचएफसीएल के पास ऐसे खातों में मोबाइल नंबर बदलने के अनुरोधों से निपटने के लिए उचित परिश्रम की एक मजबूत प्रक्रिया को दर्शाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।
 - iii. ग्राहक के सभी जमा खातों का कुल शेष एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेष राशि सीमा से अधिक हो जाती है, तो खाता तब तक चालू नहीं रहेगा, जब तक कि नीचे (v) में उल्लिखित CDD पूरा नहीं हो जाता।
 - iv. एक वित्तीय वर्ष में सभी जमा खातों में जमा की गई कुल राशि दो रुपए से अधिक नहीं होगी। लाख.
 - v. उधार खातों के संबंध में, केवल सावधि ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। स्वीकृत सावधि ऋणों की कुल राशि एक वर्ष में साठ हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। वर्ष।
 - vi. ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए जमा और उधार दोनों खातों को एक वर्ष से अधिक समय तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि धारा 16 (आरबीआई केवाईसी एमडी की धाराएं) या धारा 18 (आरबीआई केवाईसी एमडी वी-सीआईपी की धाराएं) के अनुसार पहचान न की जाए। यदि धारा 18 के तहत आधार विवरण का उपयोग किया जाता है, तो प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन किया जाएगा जिसमें ताजा आधार ओटीपी प्रमाणीकरण भी शामिल है।
 - vii. यदि जमा खातों के संबंध में ऊपर बताई गई सी.डी.डी. प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। उधार खातों के संबंध में कोई और डेबिट नहीं किया जाएगा। अनुमत।
 - viii. ग्राहक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त किया जाएगा कि किसी अन्य एचएफसी के साथ गैर-आमने-सामने मोड में ओटीपी आधारित केवाईसी का उपयोग करके कोई अन्य खाता नहीं खोला गया है और न ही खोला जाएगा। इसके अलावा, सीकेवाईसीआर को केवाईसी जानकारी अपलोड करते समय, एमएचएफसीएल स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि ऐसे खाते ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए हैं और अन्य एचएफसी गैर-आमने-सामने मोड में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के साथ खोले गए खातों की केवाईसी जानकारी के आधार पर खाते नहीं खोलेंगे। तरीका।
 - ix. एमएचएफसीएल के पास उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में अलर्ट जारी करने की प्रणाली सहित सख्त निगरानी प्रक्रियाएं होंगी।
3. एमएचएफसीएल किसी व्यक्तिगत ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के लिए, उसकी सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद, एमएचएफसीएल के किसी अधिकारी द्वारा लाइव वी-सीआईपी कर सकता है और उसे निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा:
- (a) वी-सीआईपी अवसंरचना:
 - i) एमएचएफसीएल को बैंकों के लिए न्यूनतम बेसलाइन साइबर सुरक्षा और लचीलापन ढांचे पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया गया है और साथ ही आईटी जोखिमों पर अन्य सामान्य दिशानिर्देश भी। प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को एमएचएफसीएल के अपने परिसर में

- रखा जाना चाहिए और वी-सीआईपी कनेक्शन और बातचीत आवश्यक रूप से अपने स्वयं के सुरक्षित नेटवर्क डोमेन से उत्पन्न होगी। प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी से संबंधित आउटसोर्सिंग को प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। जहां क्लाउड परिनियोजन मॉडल का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के मॉडल में डेटा का स्वामित्व केवल एमएचएफसीएल के पास है और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित सभी डेटा को वी- सीआईपी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद एमएचएफसीएल के विशेष रूप से स्वामित्व वाले / पट्टे पर दिए गए सर्वर (यदि कोई हो) में क्लाउड सर्वर सहित स्थानांतरित कर दिया जाता है
- ii) एमएचएफसीएल उचित एन्क्रिप्शन मानकों के अनुसार ग्राहक डिवाइस और वी-सीआईपी एप्लीकेशन के होस्टिंग पॉइंट के बीच डेटा का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगा। ग्राहक की सहमति ऑडिटेबल और परिवर्तन प्रूफ तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
 - iii) वी-सीआईपी अवसंरचना/अनुप्रयोग भारत के बाहर के आईपी पतों या नकली आईपी पतों से कनेक्शन को रोकने में सक्षम होना चाहिए।
 - iv) वीडियो रिकॉर्डिंग में वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक के लाइव जीपीएस निर्देशांक (जियो-टैगिंग) और दिनांक-समय की मुहर शामिल होनी चाहिए। वी-सीआईपी में लाइव वीडियो की गुणवत्ता ग्राहक की पहचान को संदेह से परे करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
 - v) एप्लीकेशन में फेस लाइवनेस/स्पूफ डिटेक्शन के साथ-साथ उच्च सटीकता के साथ फेस मैचिंग तकनीक वाले घटक होने चाहिए, भले ही किसी भी ग्राहक की पहचान की अंतिम जिम्मेदारी MHFCL के पास हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वी-सीआईपी मजबूत है, उपयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
 - vi) जाली पहचान के पकड़े गए/प्रयास किए गए/निकट-चूक' मामलों के अनुभव के आधार पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ-साथ वर्कफ़्लो सहित प्रौद्योगिकी अवसंरचना को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाएगा। वी-सीआईपी के माध्यम से जाली पहचान के किसी भी मामले का पता मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के तहत साइबर घटना के रूप में लगाया जाएगा।
 - vii) वी-सीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी मजबूती और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए भेद्यता मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट जैसे आवश्यक परीक्षणों से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट की गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी को इसके कार्यान्वयन को शुरू करने से पहले कम किया जाएगा। इस तरह के परीक्षण भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने चाहिए। इस तरह के परीक्षण आंतरिक / नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए जाने चाहिए।
 - viii) वी-सीआईपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और संबंधित एपीआई/वेबसर्विस को भी लाइव वातावरण में उपयोग किए जाने से पहले कार्यात्मकता, प्रदर्शन, रखरखाव शक्ति के उचित परीक्षण से गुजरना होगा। ऐसे परीक्षणों के दौरान पाए गए किसी भी महत्वपूर्ण अंतर को बंद करने के बाद ही एप्लीकेशन को रोल आउट किया जाना चाहिए। ऐसे

परीक्षण भी आंतरिक/नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए जाने चाहिए।

(b) वी-सीआईपी प्रक्रिया

- i) एमएचएफसीएल वी-सीआईपी के लिए एक स्पष्ट कार्य प्रवाह और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा और इसका पालन सुनिश्चित करेगा। वी-सीआईपी प्रक्रिया केवल एमएचएफसीएल के अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारी को ग्राहक की लाइवनेस जांच करने और किसी अन्य धोखाधड़ी या संदिग्ध आचरण का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए।
- ii) वीडियो को रोकना, कॉल को फिर से जोड़ना आदि सहित किसी भी प्रकार का व्यवधान, कई वीडियो फ़ाइलों के निर्माण का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि ठहराव या व्यवधान के कारण कई फ़ाइलें नहीं बन रही हैं, तो MHFCL द्वारा नया सत्र शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कॉल ड्रॉप / डिस्कनेक्शन के मामले में, नया सत्र शुरू किया जाएगा।
- iii) वीडियो बातचीत के दौरान बातचीत की जीवंतता को दर्शाने वाले प्रश्नों सहित प्रश्नों का क्रम और/या प्रकार भिन्न-भिन्न होगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बातचीत वास्तविक समय की है और पूर्व-रिकॉर्ड नहीं की गई है।
- iv) ग्राहक की ओर से कोई भी संकेत मिलने पर खाता खोलने की प्रक्रिया अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) वी-सीआईपी ग्राहक का मौजूदा या नया ग्राहक होना, या यदि यह पहले अस्वीकृत किए गए किसी मामले से संबंधित है या यदि उसका नाम किसी नकारात्मक सूची में है, तो इन तथ्यों को कार्य-प्रवाह के उपयुक्त चरण में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- vi) वी-सीआईपी करने वाला एमएचएफसीएल का अधिकृत अधिकारी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करेगा तथा पहचान के लिए उपस्थित ग्राहक की तस्वीर भी लेगा तथा निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त करेगा:
 - क) ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण।
 - ख) पहचान के लिए आधार का ऑफलाइन सत्यापन
 - सी) ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके, धारा 56 के अनुसार, सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड।डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों सहित ओवीडी के समतुल्य ई-दस्तावेज। एमएचएफसीएल को धारा 16 के अनुसार आधार संख्या को संपादित या ब्लैकआउट करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- d) XML फ़ाइल या आधार सुरक्षित क्यूआर कोड का उपयोग करके आधार के ऑफ़लाइन सत्यापन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि XML फ़ाइल या क्यूआर कोड जनरेशन की तारीख वी-सीआईपी करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों से अधिक पुरानी नहीं है।

- ई) इसके अलावा, आधार XML फ़ाइल / आधार क्यूआर कोड के उपयोग के लिए तीन दिनों की निर्धारित अवधि के अनुरूप, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि वी-सीआईपी की वीडियो प्रक्रिया सीकेवाईसीआर / आधार प्रमाणीकरण / समकक्ष ई-दस्तावेज़ के माध्यम से पहचान जानकारी डाउनलोड / प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर शुरू की जाए, यदि दुर्लभ मामलों में, पूरी प्रक्रिया एक बार में या निर्बाध रूप से पूरी नहीं की जा सकती है। हालांकि, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कारण कोई अतिरिक्त जोखिम न हो।
- vii) यदि ग्राहक का पता ओवीडी में दर्शाए गए पते से अलग है, तो मौजूदा पते के उपयुक्त रिकॉर्ड को मौजूदा आवश्यकता के अनुसार कैप्चर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और वित्तीय प्रोफ़ाइल/सूचना की पुष्टि वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक से भी उपयुक्त तरीके से की गई है।
- viii) एमएचएफसीएल प्रक्रिया के दौरान ग्राहक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले पैन कार्ड की स्पष्ट छवि कैप्चर करेगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ग्राहक द्वारा ई-पैन प्रदान किया जाता है। पैन विवरण को डिजिलॉकर सहित जारी करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।
- ix) ई-पैन सहित समकक्ष ई-दस्तावेज की मुद्रित प्रति का उपयोग वी-सीआईपी के लिए मान्य नहीं है।
- x) एमएचएफसीएल का प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आधार/ओवीडी और पैन/ई-पैन में ग्राहक की तस्वीर वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक के साथ मेल खाती है और आधार/ओवीडी और पैन/ई-पैन में पहचान विवरण ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण के साथ मेल खाता है।
- xi) सहायता प्राप्त वी-सीआईपी तब स्वीकार्य होगा जब बैंक केवल ग्राहक के स्तर पर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) की मदद लेंगे। बैंक ग्राहक की सहायता करने वाले बीसी का विवरण बनाए रखेंगे, जहां बीसी की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ग्राहक की उचित सावधानी के लिए अंतिम जिम्मेदारी बैंक की होगी।
- xii) वी-सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी खातों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होने के बाद ही चालू किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया की अखंडता और परिणाम की स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सके।
- xiii) सभी मामले जो पैराग्राफ के तहत निर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम जैसे अन्य क़ानूनों के तहत आवश्यक हैं, उनका एमएचएफसीएल द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया जाएगा।
- (c) वी-सीआईपी रिकॉर्ड और डेटा प्रबंधन
- i) वी-सीआईपी का पूरा डेटा और रिकॉर्डिंग भारत में स्थित सिस्टम/सिस्टम में संग्रहित की जाएगी। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित तरीके से संग्रहित की जाए और उस पर तारीख और समय की मुहर हो, जिससे ऐतिहासिक डेटा को खोजना आसान हो। इस एमडी में निर्धारित रिकॉर्ड प्रबंधन पर मौजूदा निर्देश वी-सीआईपी के लिए भी लागू होंगे।
- ii) वी-सीआईपी करने वाले अधिकारी की पहचान सहित गतिविधि लॉग को संरक्षित किया जाएगा।

4. एमएचएफसीएल की एक शाखा/कार्यालय द्वारा एक बार किया गया केवाईसी सत्यापन, खाते को एमएचएफसीएल की किसी अन्य शाखा/कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए वैध होगा, बशर्ते कि संबंधित खाते के लिए पूर्ण केवाईसी सत्यापन पहले ही किया जा चुका हो और यह आवधिक आधार पर देय न हो। अद्यतनीकरण.

भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए CDD उपाय

1. एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलने के लिए, व्यक्ति (मालिक) का सीडीडी साथ रखना होगा। बाहर।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे:
 - (a) पंजीकरण सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सहित प्रमाणपत्र
 - (b) दुकान और प्रतिष्ठान के अंतर्गत नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस कार्यवाही करना।
 - (c) बिक्री और आयकर रिटर्न.
 - (d) सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम).
 - (e) बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज़।
 - (f) डीजीएफटी कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान को जारी किया गया आईईसी (आयातकर्ता निर्यातक कोड) या किसी भी व्यावसायिक निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया लाइसेंस/प्रमाणपत्र कानून.
 - (g) एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो, आयकर विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृति प्राप्त हो। प्राधिकारियों.
 - (h) उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वगैरह।
3. ऐसे मामलों में जहां एमएचएफसीएल को विश्वास हो कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, एमएचएफसीएल अपने विवेकानुसार, व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में केवल एक दस्तावेज को स्वीकार कर सकता है।
4. बशर्ते एमएचएफसीएल संपर्क बिंदु सत्यापन का कार्य करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण एकत्रित करेगा जो ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा, तथा यह पुष्टि करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि व्यावसायिक गतिविधि को मालिकाना संस्था के पते से सत्यापित किया गया है।

भाग III- कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

1. किसी कंपनी का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उनके समकक्ष ई-दस्तावेजों की आवश्यकता होगी प्राप्त किया:
 - (a) का प्रमाण पत्र निगमन
 - (b) ज्ञापन और लेख संगठन
 - (c) स्थायी खाता संख्या कंपनी
 - (d) निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी
 - (e) आरबीआई केवाईसी एमडी की धाराएं) में निर्दिष्ट दस्तावेज, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, कंपनी पर लेन-देन करने के लिए वकील रखना। ओर से
 - (f) वरिष्ठ प्रबंधन पद पर आसीन प्रासंगिक व्यक्तियों के नाम; और
 - (g) पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार का मुख्य स्थान, यदि वह भिन्न हो।
2. साझेदारी फर्म का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उनके समकक्ष ई-दस्तावेजों की आवश्यकता होगी प्राप्त किया:
 - (a) पंजीयन प्रमाणपत्र
 - (b) साझेदारी विलेख
 - (c) साझेदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या
 - (d) आरबीआई केवाईसी एमडी की धाराएं) में निर्दिष्ट दस्तावेज, जो लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित हों, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखते हों।
 - (ई) सभी भागीदारों के नाम; और
 - (च) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा उसके कारोबार का मुख्य स्थान, यदि वह भिन्न हो।
3. ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे:
 - (a) पंजीयन प्रमाणपत्र
 - (b) न्यास विलेख
 - (c) ट्रस्ट का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म संख्या 60
 - (d) आरबीआई केवाईसी एमडी की धाराएं) में निर्दिष्ट दस्तावेज, जो लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित हों, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए वकील रखते हों।
 - (e) ट्रस्ट के लाभार्थियों, ट्रस्टियों, संस्थापकों और लेखकों के नाम
 - (f) ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और
 - (g) ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत लोगों के लिए धारा 16 (आरबीआई केवाईसी एमडी की धाराएं) में निर्दिष्ट ट्रस्टियों और दस्तावेजों की सूची।

भाग IV - लाभार्थी स्वामी की पहचान

1. किसी ऐसे कानूनी व्यक्ति का खाता खोलने के लिए, जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार सभी उचित कदम उठाए जाएंगे। अगले:
 - (a) जहां ग्राहक या नियंत्रण हित का स्वामी (i) भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इकाई है, या (ii) यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकारों में स्थित एक इकाई है और ऐसे क्षेत्राधिकारों में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, या (iii) यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है; ऐसी संस्थाओं के किसी भी शेयरधारक या लाभकारी मालिक की पहचान की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।
 - (b) ट्रस्ट/नामिती या प्रत्ययी खातों के मामलों में यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ट्रस्टी/नामिती या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और जिन व्यक्तियों की ओर से वे कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान के संतोषजनक साक्ष्य, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण प्राप्त किया जाएगा।

भाग v - चल रही उचित तत्परता

1. एमएचएफसीएल ग्राहकों के संबंध में निरंतर उचित जांच-पड़ताल करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके लेन-देन ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल के बारे में उनकी जानकारी के अनुरूप हैं; तथा जोखिम के स्रोत के अनुरूप हैं। निधि.
2. निगरानी की सीमा अनुबंध के अनुसार ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुरूप होगी।²
स्पष्टीकरण: उच्च जोखिम वाले खातों की अधिक गहन निगरानी की जानी चाहिए /
ए प्रणाली का आवधिक समीक्षा का जोखिम वर्गीकरण का हिसाब किताब, साथ ऐसा दौरा कम से कम छह महीने में एक बार, और अधिक सावधानी बरतने के उपाय लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा जगह में।
3. निरंतर उचित परिश्रम के लिए, एमएचएफसीएल प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त नवाचारों को अपनाने पर विचार कर सकता है।

4. केवाईसी का अद्यतन / आवधिक अद्यतन

एम.एच.एफ.सी.एल. के.वाई.सी. के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सी.डी.डी. के अंतर्गत एकत्रित जानकारी या डेटा अद्यतित और प्रासंगिक रखा जाए, विशेष रूप से जहाँ जोखिम अधिक है। हालाँकि, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक आठ वर्षों में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक दस वर्षों में एक बार खाता खोलने/अंतिम के.वाई.सी. अद्यतनीकरण की तिथि से आवधिक अद्यतनीकरण किया जाएगा। इस संबंध में नीति को एम.एच.एफ.सी.एल. की आंतरिक के.वाई.सी. नीति के भाग के रूप में प्रलेखित किया जाएगा, जिसे एम.एच.एफ.सी.एल. के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा, जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

क) व्यक्ति:

केवाईसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं: केवाईसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से स्व-घोषणा एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, एमएचएफसीएल का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

पते में परिवर्तन: ग्राहक के केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में, नए पते की स्व-घोषणा ग्राहक से एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, एमएचएफसीएल का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि।

इसके अलावा, एमएचएफसीएल अपने विकल्प के अनुसार, पते के प्रमाण के उद्देश्य से, समय-समय पर अद्यतनीकरण के समय ग्राहक द्वारा घोषित, धारा 3(ए)(xiii) में परिभाषित ओवीडी या डीमड ओवीडी या उसके समतुल्य ई-दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, ऐसी आवश्यकता को एमएचएफसीएल द्वारा अपनी आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे एमएचएफसीएल के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा, जिसे शक्ति सौंपी गई है।

आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग गैर-आमने-सामने मोड में आवधिक अद्यतनीकरण के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट करने के लिए, धारा 17 में निर्धारित शर्तें गैर-आमने-सामने मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-

केवाईसी के माध्यम से केवाईसी के अद्यतन / आवधिक अद्यतनीकरण के मामले में लागू नहीं होती हैं।

यदि वर्तमान पता आधार में दर्ज पते से अलग है, तो वर्तमान पते की घोषणा के लिए इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर ग्राहक की प्रोफाइल में उपलब्ध नंबर के समान हो, ताकि किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

ख) व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

केवाईसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं: ग्राहक की केवाईसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, एमएचएफसीएल का मोबाइल एप्लिकेशन), इस संबंध में अधिकृत अधिकारी के पत्र, बोर्ड के प्रस्ताव आदि के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा, एमएचएफसीएल इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) की जानकारी सटीक है और यदि आवश्यक हो तो इसे यथासंभव अद्यतन रखने के लिए इसे अपडेट करेगा।

केवाईसी जानकारी में परिवर्तन: केवाईसी जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में, एमएचएफसीएल नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के समतुल्य केवाईसी प्रक्रिया अपनाएगा।

ग) अतिरिक्त उपाय: उपरोक्त के अतिरिक्त, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि,

वर्तमान CDD मानकों के अनुसार ग्राहक के KYC दस्तावेज़ उनके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू होता है जब ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन MHFCL के पास उपलब्ध दस्तावेज़ वर्तमान CDD मानकों के अनुसार नहीं होते हैं। इसके अलावा, यदि KYC के आवधिक अद्यतनीकरण के समय MHFCL के पास उपलब्ध CDD दस्तावेज़ों की वैधता समाप्त हो जाती है, तो MHFCL नए ग्राहक को जोड़ने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगा।

यदि ग्राहक का पैन विवरण एमएचएफसीएल के पास उपलब्ध है, तो उसे केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के समय जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।

आवधिक अद्यतनीकरण के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित प्रासंगिक दस्तावेज़ों की प्राप्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेज़ों को एमएचएफसीएल के रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और केवाईसी विवरण के अद्यतनीकरण की तिथि का उल्लेख करते हुए ग्राहक को सूचना प्रदान की जाए।

ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, एमएचएफसीएल अपनी आंतरिक केवाईसी नीति के अनुसार, एमएचएफसीएल के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित किसी भी शाखा में केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है।

एमएचएफसीएल केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के संबंध में जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा। एमएचएफसीएल द्वारा अपनाए गए कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जो अन्यथा उपरोक्त निर्देशों के तहत अनिवार्य नहीं हैं, जैसे कि हाल ही की तस्वीर प्राप्त करने की आवश्यकता, ग्राहक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता, केवल एमएचएफसीएल की उस शाखा में केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की आवश्यकता जहां खाता रखा जाता है, न्यूनतम निर्दिष्ट आवश्यकता की तुलना में केवाईसी अद्यतनीकरण की अधिक लगातार

आवधिकता आदि, एमएचएफसीएल के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

- a) एमएचएफसीएल ग्राहकों को सलाह देगा कि पीएमएल नियमों का पालन करने के लिए, व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अपडेट के मामले में; ग्राहक एमएचएफसीएल को ऐसे दस्तावेजों का अपडेट प्रस्तुत करेंगे। एमएचएफसीएल की ओर से रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेजों के अपडेट के 30 दिनों के भीतर ऐसा किया जाना चाहिए।
- b) मौजूदा ग्राहकों के मामले में, एमएचएफसीएल को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 प्राप्त करना होगा, ऐसा न करने पर एमएचएफसीएल अस्थायी रूप से खाते में परिचालन बंद कर देगा, जब तक कि ग्राहक द्वारा स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- c) बशर्ते कि किसी खाते के लिए अस्थायी रूप से परिचालन बंद करने से पहले, आरई ग्राहक को एक सुलभ सूचना और सुनवाई का उचित अवसर देगा। इसके अलावा, आरई अपनी आंतरिक नीति में उन ग्राहकों के लिए खातों के निरंतर संचालन के लिए उचित छूट शामिल करेगा जो वृद्धावस्था या अन्य कारणों से चोट, बीमारी या दुर्बलता के कारण स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म नंबर 60 प्रदान करने में असमर्थ हैं। हालांकि, ऐसे खातों की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
- d) बशर्ते कि यदि एमएचएफसीएल के साथ मौजूदा खाता-आधारित संबंध रखने वाला कोई ग्राहक एमएचएफसीएल को लिखित रूप में देता है कि वह अपना स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 जमा नहीं करना चाहता है, तो एमएचएफसीएल खाता बंद कर देगा और ग्राहक के लिए लागू पहचान दस्तावेज प्राप्त करके ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद खाते के संबंध में देय सभी दायित्वों का उचित रूप से निपटान किया जाएगा।
- e) स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी खाते के संबंध में "संचालन की अस्थायी समाप्ति" का अर्थ है कि आरई द्वारा उस खाते के संबंध में सभी लेन-देन या गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि ग्राहक इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता। ऋण खातों जैसे परिसंपत्ति खातों के मामले में, खाते में परिचालन बंद करने के उद्देश्य से, केवल क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

भाग VI - उन्नत उचित परिश्रम प्रक्रिया

गैर-आमने-सामने वाले ग्राहक ऑनबोर्डिंग (धारा 17 के अनुसार ग्राहक ऑनबोर्डिंग के अलावा) के लिए संवर्धित उचित परिश्रम (ईडीडी): गैर-आमने-सामने वाले ऑनबोर्डिंग से एमएचएफसीएल को ग्राहक से शारीरिक रूप से या वी-सीआईपी के माध्यम से मिले बिना ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने की सुविधा मिलती है। इस धारा के उद्देश्य के लिए ऐसे गैर-आमने-सामने वाले तरीकों में डिजिटल चैनलों जैसे कि सीकेवाईसीआर, डिजिलॉकर, समकक्ष ई-दस्तावेज आदि का उपयोग और गैर-डिजिटल तरीके जैसे कि एनआरआई और पीआईओ के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करना शामिल है। गैर-आमने-सामने वाले ग्राहक ऑनबोर्डिंग (धारा 17 के अनुसार ग्राहक ऑनबोर्डिंग के अलावा) के लिए एमएचएफसीएल द्वारा निम्नलिखित ईडीडी उपाय किए जाएंगे:

a) यदि आरई ने वी-सीआईपी की प्रक्रिया शुरू की है, तो इसे रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक को पहले विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि वी-सीआईपी के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली प्रक्रियाओं को इस मास्टर निर्देश के उद्देश्य के लिए आमने-सामने सीआईपी के बराबर माना जाएगा।

बी) धोखाधड़ी को रोकने के लिए, लेनदेन ओटीपी, लेनदेन अपडेट आदि के लिए ऐसे खातों के साथ सीडीडी के बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए जाएंगे। लेनदेन केवल खाता खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर से ही किए जा सकेंगे। एमएचएफसीएल के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर में बदलाव के अनुरोधों से निपटने के लिए उचित परिश्रम की एक मजबूत प्रक्रिया को दर्शाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

ग) वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त करने के अलावा, एमएचएफसीएल खाते में परिचालन की अनुमति देने से पहले सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से वर्तमान पते का सत्यापन करेगा। सकारात्मक पुष्टि पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि जैसे तरीकों से की जा सकती है।

घ) एमएचएफसीएल ग्राहक से पैन प्राप्त करेगा और पैन को जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

ई) ऐसे खातों में पहला लेनदेन ग्राहक के मौजूदा केवाईसी-अनुपालित बैंक खाते से जमा किया जाएगा।

(च) ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और गैर-आमने-सामने मोड में खोले गए खातों पर तब तक गहन निगरानी रखी जाएगी, जब तक कि ग्राहक की पहचान आमने-सामने या वी-सीआईपी के माध्यम से सत्यापित नहीं हो जाती।

1. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के खाते

एमएचएफसीएल के पास पीईपी के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा बशर्ते कि:

- परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के खातों के स्रोतों सहित पर्याप्त जानकारी एकत्र की जाती है। पीईपी;
- पीईपी को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जानी चाहिए;
- पीईपी के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकृति नियम के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर लिया जाता है। नीति;
- ऐसे सभी खातों की निरंतर निगरानी की जाती है। आधार;
- यदि कोई मौजूदा ग्राहक या किसी मौजूदा खाते का लाभकारी स्वामी बाद में पीईपी बन जाता है, तो व्यवसाय जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी लेनी होगी। संबंध;
- पीईपी पर लागू सीडीडी उपाय, जिसमें निरंतर आधार पर बढ़ी हुई निगरानी शामिल है, निम्नलिखित हैं: लागू
- ये निर्देश उन खातों पर भी लागू होंगे जहां पीईपी लाभार्थी स्वामी है।

2. पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते:

एमएचएफसीएल पेशेवर मध्यस्थों के माध्यम से ग्राहक खाते खोलते समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

- a. ग्राहकों की पहचान तब की जाएगी जब किसी एकल कंपनी की ओर से पेशेवर मध्यस्थ द्वारा ग्राहक खाता खोला जाएगा। ग्राहक।
- b. एमएचएफसीएल के पास म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित 'पूल' खाते रखने का विकल्प होगा। निधियों के प्रकार.
- c. एमएचएफसीएल ऐसे पेशेवर मध्यस्थों के खाते नहीं खोलेगा जो किसी ग्राहक गोपनीयता से बंधे हों जो एमएचएफसीएल को ग्राहक विवरण के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता हो।
- d. सभी लाभकारी स्वामियों की पहचान की जाएगी, जहां मध्यस्थों द्वारा रखे गए फंड कंपनी के स्तर पर मिश्रित नहीं हैं, और 'उप-खाते' हैं, उनमें से प्रत्येक एक लाभकारी स्वामी के लिए जिम्मेदार है, या जहां ऐसे फंड कंपनी के स्तर पर मिश्रित हैं, एमएचएफसीएल लाभकारी स्वामी की तलाश करेगा। मालिकों.
- e. एमएचएफसीएल अपने विवेकानुसार मध्यस्थ द्वारा किए गए 'ग्राहक उचित परिश्रम' (सीडीडी) पर भरोसा करेगा, बशर्ते कि मध्यस्थ एक विनियमित और पर्यवेक्षित इकाई हो और उसके पास केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां हों। ग्राहकों.
- f. ग्राहक को जानने की अंतिम जिम्मेदारी ग्राहक की है। एमएचएफसीएल.

अध्याय – VII: रिकॉर्ड प्रबंधन

1. रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक जानकारी का उपयोग। एमएचएफसीएल करेगा,
 - (a) एमएचएफसीएल और ग्राहक के बीच लेन-देन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड को अनुबंध की तिथि से कम से कम पांच वर्षों तक बनाए रखें। लेन-देन;
 - (b) खाता खोलते समय तथा व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान तथा उनके पते से संबंधित अभिलेखों को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के पश्चात कम से कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखें। समाप्त;
 - (c) पहचान अभिलेख, व्यावसायिक पत्राचार और लेन-देन संबंधी डेटा सक्षम प्राधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध कराएं। अनुरोध।
 - (d) धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम , 2005 (पीएमएल नियम, 2005) के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली शुरू करें। 2005);
 - (e) पीएमएल नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें। जैसा अनुमति देने के लिए पुनर्निर्माण का व्यक्ति लेन-देन, शामिल अगले:
 - (i) की प्रकृति लेन-देन.
 - (ii) मात्रा का सौदा और मुद्रा में कौन यह था नामित.
 - (iii) वह तारीख जिस दिन लेन -देन हुआ आयोजित; और
 - (iv) पक्षकारों में लेन-देन।
 - (f) खाता जानकारी के समुचित रख-रखाव और संरक्षण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे जब भी आवश्यकता हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए, डेटा को आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। प्राधिकारी;
 - (g) बनाए रखना अभिलेख का पहचान और पता का उनका ग्राहक, और अभिलेख में नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप।

स्पष्टीकरण. – इस धारा के प्रयोजन के लिए, "पहचान से संबंधित अभिलेख", "पहचान अभिलेख" आदि में पहचान डेटा, खाता फाइलें, व्यावसायिक पत्राचार और किए गए किसी भी विश्लेषण के परिणामों के अद्यतन अभिलेख शामिल होंगे।
 - (h) यह सुनिश्चित करना कि गैर-लाभकारी संगठनों के ग्राहकों के मामले में, ऐसे ग्राहकों का विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। यदि ऐसे ग्राहक पंजीकृत नहीं हैं, तो MHFCL दर्पण पोर्टल पर विवरण पंजीकृत करेगा। MHFCL ग्राहक और MHFCL के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे पंजीकरण रिकॉर्ड भी बनाए रखेगा।

अध्याय – VIII: वित्तीय खुफिया इकाई – भारत को रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

1. एमएचएफसीएल, नियम 7 के अनुसार पीएमएल (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 में निर्दिष्ट जानकारी निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को उपलब्ध कराएगा। उसके.
2. एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित/जारी किए गए रिपोर्टिंग प्रारूप और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप गाइड तथा निर्धारित रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए विकसित रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी और रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदिग्ध ट्रांजेक्शन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करने के लिए संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज, जिन्हें एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर रखा है, का उपयोग एचएफसी द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपने लाइव ट्रांजेक्शन डेटा से सीटीआर/एसटीआर निकालने के लिए उपयुक्त तकनीकी उपकरण स्थापित/अपनाए नहीं हैं। एमएचएफसीएल के प्रधान अधिकारी एफआईयू-आईएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए सीटीआर/एसटीआर की संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज की मदद से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करेंगे। <http://fiuindia.gov.in>.
3. एफआईयू-आईएनडी के निदेशक को सूचना प्रदान करते समय, नियम में निर्दिष्ट समय सीमा से परे लेनदेन की सूचना न देने में प्रत्येक दिन की देरी या गलत तरीके से प्रस्तुत लेनदेन को सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी को एक अलग उल्लंघन माना जाएगा। एमएचएफसीएल उन खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जहां एसटीआर दाखिल किया गया है। एमएचएफसीएल, इसके निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम 3 में संदर्भित अभिलेखों के रखरखाव और निदेशक को सूचना प्रदान करने का तथ्य गोपनीय है। हालांकि, ऐसी गोपनीयता आवश्यकता लेनदेन और गतिविधियों के किसी भी विश्लेषण की इस मास्टर निर्देश की धारा 4(बी) के तहत जानकारी साझा करने में बाधा नहीं डालेगी जो असामान्य प्रतीत होती है, अगर ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है।
4. मजबूत सॉफ्टवेयर, जब लेनदेन जोखिम वर्गीकरण के साथ असंगत होते हैं तो अलर्ट देता है और अद्यतन प्रोफ़ाइल का ग्राहकों करेगा होना रखना में उपयोग करने के लिए जैसा ए भाग प्रभावी का पहचान और रिपोर्टिंग का संदिग्ध लेनदेन.

अध्याय - IX: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएँ/दायित्व - अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संचार

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967

एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसके संशोधनों के अनुसार, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जिनका नाम उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल है, जिनके आतंकवादियों से संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।

दोनों सूचियों का विवरण निम्नानुसार है:

i. "आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची", सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267/1989/2253 के अनुसार स्थापित और बनाए रखी गई है, जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, जो यहां उपलब्ध है

<https://scsanctions.un.org/ohz5jen-al-qaida.html>

ii. सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988 (2011) के अनुसार स्थापित और बनाए रखी गई "तालिबान प्रतिबंध सूची", जिसमें तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, यहां उपलब्ध है

<https://scsanctions.un.org/3ppp1en-taliban.htm>

एमएचएफसीएल समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का संदर्भ लेना भी सुनिश्चित करेगा। *उपर्युक्त सूचियाँ, यानी, यूएनएससी प्रतिबंध सूचियाँ और समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियाँ, दैनिक आधार पर सत्यापित की जाएंगी और सूचियों में जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को एमएचएफसीएल द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।*

सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का ब्यौरा गृह मंत्रालय (एमएचए) को सलाह देने के अलावा एफआईयू आईएनडी को भी सूचित किया जाएगा, जैसा कि यूएपीए अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 2021 (मास्टर निर्देश के अनुलग्नक II) के तहत आवश्यक है।

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए के तहत संपत्तियों को जब्त करना: यूएपीए आदेश दिनांक 2 फरवरी, 2021 (मास्टर निर्देश के अनुलग्नक II) में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूएपीए के लिए नोडल अधिकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अतिरिक्त सचिव (सीटीसीआर) हैं।

2. सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के अंतर्गत दायित्व

सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (WMD अधिनियम, 2005) के अंतर्गत दायित्व:

(ए) एमएचएफसीएल वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (मास्टर निर्देश के अनुलग्नक III) द्वारा 30 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए के अनुसार निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनके वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ख) उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि यदि व्यक्ति/संस्था का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है तो वह लेनदेन न करे।

(ग) इसके अलावा, एमएचएफसीएल किसी ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय दिए गए मापदंडों पर तथा आवधिक आधार पर यह जांच करेगा कि क्या निर्दिष्ट सूची में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के पास बैंक खाते आदि के रूप में कोई धनराशि, वित्तीय परिसंपत्ति आदि है।

- (घ) उपर्युक्त मामलों में मिलान होने की स्थिति में, एमएचएफसीएल तुरंत ही केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को शामिल निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के पूर्ण विवरण के साथ लेनदेन विवरण की सूचना देगा, जिसे डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। संचार की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी, जहां खाता/लेनदेन आयोजित किया जाता है और आरबीआई को। एमएचएफसीएल एफआईयू-आईएनडी के साथ एक एसटीआर दाखिल करेगा, जिसमें ऊपर वर्णित खातों में किए गए या किए जाने वाले सभी लेनदेन शामिल होंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश के पैराग्राफ 1 के अनुसार, एफआईयू-इंडिया के निदेशक को सीएनओ के रूप में नामित किया गया है।
- (ई) एमएचएफसीएल एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित निर्दिष्ट सूची का संदर्भ ले सकता है।
- (च) यदि संदेह से परे यह मानने के कारण हों कि ग्राहक द्वारा रखी गई धनराशि या परिसंपत्तियां डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए की उपधारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आती हैं, तो एमएचएफसीएल ऐसे व्यक्ति/संस्था को बिना किसी देरी के ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सीएनओ को सूचित करते हुए वित्तीय लेनदेन करने से रोकेगा।
- (छ) यदि धारा 12ए के तहत परिसंपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश एमएचएफसीएल को सीएनओ से प्राप्त होता है, तो एमएचएफसीएल बिना देरी के आदेश का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (ii) आदेश के पैराग्राफ 7 के अनुसार निधियों की फ्रीजिंग आदि की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तदनुसार, फ्रीजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था से प्राप्त आवेदन की प्रति एमएचएफसीएल द्वारा आवेदक द्वारा दी गई फ्रीज की गई संपत्ति के पूर्ण विवरण के साथ सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर भेजी जाएगी।

3. यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची

एमएचएफसीएल प्रतिदिन 'नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची' का सत्यापन करेगा, जो यहां उपलब्ध है।

<https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm>,

सूची में जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखना और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आदेश, 2017 पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एमएचएफसीएल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा - (ए) अन्य यूएनएससीआर और (बी) यूएपीए, 1967 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची की सूचियां और यूएपीए की धारा 51ए और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए इनमें कोई भी संशोधन।

एक नई धारा 54ए शुरू की गई है, जिसके तहत एमएचएफसीएल को प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाम स्क्रीनिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों और उपकरणों का लाभ उठाने की आवश्यकता होगी।

अध्याय – x: अन्य निर्देश

1. गोपनीयता दायित्व और साझाकरण जानकारी:

- (a) एमएचएफसीएल, एमएचएफसीएल और के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न ग्राहक जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा। ग्राहक।
- (b) खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्रित की गई जानकारी गोपनीय मानी जाएगी और उसका विवरण क्रॉस सेलिंग के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा। ग्राहक।
- (c) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/सूचना के लिए अनुरोध पर विचार करते समय, एमएचएफसीएल स्वयं को संतुष्ट करेगा कि मांगी जा रही सूचना ऐसी प्रकृति की नहीं है जो बैंकिंग लेनदेन में गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी।
- (d) उक्त नियम के अपवाद इस प्रकार होंगे अंतर्गत:
 - i. जहां प्रकटीकरण अनिवार्य है कानून
 - ii. जहां जनता के प्रति यह कर्तव्य है कि खुलासा,
 - iii. एमएचएफसीएल के हित का खुलासा आवश्यक है और
 - iv. जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया गया हो।
- (e) एमएचएफसीएल आरबीआई अधिनियम की धारा 45एनबी में दिए गए प्रावधान के अनुसार सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा। 1934.

2. सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना

एमएचएफसीएल नियमों में उल्लिखित तरीके से सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी एकत्र करेगा, जैसा कि 'व्यक्तियों' और 'कानूनी संस्थाओं' के लिए तैयार संशोधित केवाईसी टेम्पलेट्स द्वारा अपेक्षित है। भारत सरकार ने 26 नवंबर, 2014 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 3183 (ई) के तहत भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने और उसके कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया है। 2015.

सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' 15 जुलाई, 2016 से चरणबद्ध तरीके से नए 'व्यक्तिगत खातों' से शुरू होगा। तदनुसार, एमएचएफसीएल निम्नलिखित कदम उठाएगा:

- (i) एमएचएफसीएल को धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीईआरएसएआई के साथ अपलोड करना होगा। 2005.
- (ii) केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश (संस्करण 1.1) सीईआरएसएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीईआरएसएआई द्वारा 'परीक्षण वातावरण' भी उपलब्ध कराया गया है। एमएचएफसीएल के उपयोग के लिए।
- (iii) एमएचएफसीएल द्वारा सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी दस्तावेज, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, का उपयोग केवाईसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

3. **व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ नए संबंध बनाते समय एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित किया जाएगा। एमएचएफसीएल।**
4. **नई प्रौद्योगिकियों का परिचय**
एमएचएफसीएल नए उत्पादों और नई व्यावसायिक प्रथाओं के विकास के संबंध में उत्पन्न होने वाले एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और आकलन करेगा, जिसमें नई वितरण प्रणाली, तथा नए और पहले से मौजूद दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।
इसके अलावा, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा:
(क) ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या उपयोग से पहले एमएल/टीएफ जोखिम आकलन करना; और
(ख) उचित ईडीडी उपायों और लेनदेन निगरानी आदि के माध्यम से जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।
5. **उद्धृत करना कड़ाही**
आयकर नियम 114बी के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन करते समय ग्राहकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। बैंकों पर लागू, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। फॉर्म 60 उन लोगों से प्राप्त किया जाएगा जिनके पास पैन या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज नहीं है।
6. **कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण**
 - (a) कार्मिक भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में, अपने कर्मचारी/स्टाफ को जानें नीति सहित पर्याप्त जांच तंत्र लागू किया जाएगा।
 - (b) एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि केवाईसी/एमएल/सीएफटी मामलों से निपटने वाले/तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों में: उच्च निष्ठा और नैतिक मानक, मौजूदा केवाईसी/एमएल/सीएफटी मानकों की अच्छी समझ, प्रभावी संचार कौशल और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते केवाईसी/एमएल/सीएफटी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने की क्षमता हो। एमएचएफसीएल ऐसा माहौल विकसित करने का भी प्रयास करेगा जो कर्मचारियों के बीच खुले संचार और उच्च निष्ठा को बढ़ावा दे।
 - (c) कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि कर्मचारियों को केवाईसी/एमएल/सीएफटी नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षण का फोकस फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों से निपटने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगा। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एमएचएफसीएल की केवाईसी/एमएल/सीएफटी नीतियों, विनियमन और संबंधित मुद्दों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से वाकिफ व्यक्तियों के साथ लेखापरीक्षा कार्य के लिए उचित स्टाफिंग सुनिश्चित की जाएगी।

अनुलग्नक 1 – डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया

- A. एमएचएफसीएल डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए एक एप्लीकेशन विकसित करेगा, जिसे ग्राहकों के केवाईसी के लिए ग्राहक टच प्वाइंट पर उपलब्ध कराया जाएगा और केवाईसी प्रक्रिया केवल इस प्रमाणित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। एमएचएफसीएल.
- B. एप्लीकेशन की पहुंच एमएचएफसीएल द्वारा नियंत्रित की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। एप्लीकेशन को केवल लॉगिन-आईडी और पासवर्ड, या एमएचएफसीएल द्वारा अपने अधिकृत व्यक्ति को दिए गए लाइव ओटीपी या टाइम ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। अधिकारीगण।
- C. केवाईसी के उद्देश्य से ग्राहक को एमएचएफसीएल के अधिकृत अधिकारी के स्थान पर जाना होगा या इसके विपरीत। मूल ओवीडी एमएचएफसीएल के पास होना चाहिए। ग्राहक।
- D. एमएचएफसीएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक की लाइव तस्वीर अधिकृत अधिकारी द्वारा ली गई है और वही तस्वीर ग्राहक आवेदन फॉर्म (सीएएफ) में एम्बेड की गई है। इसके अलावा, एमएचएफसीएल का सिस्टम एप्लीकेशन ग्राहक की कैप्चर की गई लाइव तस्वीर पर सीएएफ नंबर, जीपीएस निर्देशांक, अधिकृत अधिकारी का नाम, अद्वितीय कर्मचारी कोड (एमएचएफसीएल द्वारा निर्दिष्ट) और दिनांक (DD:MM:YYYY) और समय टिकट (HH:MM:SS) के साथ पठनीय रूप में वॉटरमार्क लगाएगा। ग्राहक।
- E. एमएचएफसीएल के एप्लीकेशन में यह विशेषता होगी कि ग्राहक की केवल लाइव फोटोग्राफ ही ली जाएगी और ग्राहक की कोई प्रिंटेड या वीडियोग्राफी वाली फोटोग्राफ नहीं ली जाएगी। लाइव फोटोग्राफ लेते समय ग्राहक के पीछे की पृष्ठभूमि यथासंभव सफेद रंग की होनी चाहिए और ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ लेते समय कोई अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं आना चाहिए। ग्राहक।
- F. इसी तरह, मूल ओवीडी या आधार के कब्जे के प्रमाण की लाइव तस्वीर जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है (क्षैतिज रूप से रखा गया), ऊपर से लंबवत रूप से कैप्चर किया जाएगा और ऊपर बताए अनुसार पठनीय रूप में वॉटरमार्किंग की जाएगी। मूल दस्तावेजों की लाइव तस्वीर कैप्चर करते समय मोबाइल डिवाइस में कोई तिरछापन या झुकाव नहीं होना चाहिए।
- G. ग्राहक और उसके मूल दस्तावेजों की लाइव तस्वीर उचित प्रकाश में खींची जाएगी ताकि वे स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें और पहचान योग्य.
- H. इसके बाद, CAF में सभी प्रविष्टियाँ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं के अनुसार भरी जाएँगी। जिन दस्तावेजों में क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड उपलब्ध है, उनमें विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज करने के बजाय QR कोड को स्कैन करके स्वचालित रूप से भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, UIDAI से डाउनलोड किए गए भौतिक आधार/ई-आधार के मामले में जहाँ QR कोड उपलब्ध है, नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता जैसे विवरण भरे जा सकते हैं। आधार/ई-आधार पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा।
- I. एक बार उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, 'कृपया ओटीपी साझा करने से पहले फॉर्म में भरी गई जानकारी

सत्यापित करें' पाठ वाला एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संदेश ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद, इसे सीएएफ पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। हालांकि, अगर ग्राहक के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसके परिवार/रिश्तेदारों/परिचित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और सीएएफ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, एमएचएफसीएल के साथ पंजीकृत अधिकृत अधिकारियों के मोबाइल नंबर का उपयोग ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए नहीं किया जाएगा। एमएचएफसीएल को यह जांचना होगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। अधिकारी।

- J. प्राधिकृत अधिकारी ग्राहक की लाइव तस्वीर और मूल प्रति लेने के बारे में घोषणा प्रदान करेगा। दस्तावेज़।
- K. इन सभी गतिविधियों के बाद, एप्लीकेशन प्रक्रिया के पूरा होने और एमएचएफसीएल के एक्टिवेशन अधिकारी को एक्टिवेशन अनुरोध प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी देगा, और प्रक्रिया की ट्रांजेक्शन-आईडी/रेफरेंस-आईडी संख्या भी उत्पन्न करेगा। अधिकृत अधिकारी भविष्य के संदर्भ के लिए ग्राहक को ट्रांजेक्शन-आईडी/रेफरेंस-आईडी संख्या के बारे में जानकारी देगा।
- L. एमएचएफसीएल का प्राधिकृत अधिकारी यह जांच और सत्यापन करेगा कि: - (i) दस्तावेज के चित्र में उपलब्ध जानकारी सीएएफ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी से मेल खा रही है। (ii) ग्राहक का लाइव फोटो दस्तावेज में उपलब्ध फोटो से मेल खाता है।; और (iii) सीएएफ में अनिवार्य क्षेत्र सहित सभी आवश्यक विवरण भरे गए हैं। ठीक से।
- M. सफल सत्यापन के बाद, CAF को MHFCL के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो CAF का प्रिंट लेगा, उचित स्थान पर ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगा, फिर स्कैन करके उसे सिस्टम में अपलोड करेगा। मूल हार्ड कॉपी ग्राहक को वापस की जा सकती है।

अनुलग्नक II - जोखिम श्रेणी

	कम जोखिम वाला ग्राहक	मध्यम जोखिम वाला ग्राहक	उच्च जोखिम वाले ग्राहक
परिभाषा	<p>(ए) ग्राहक पसंद करते हैं वेतनभोगी लोग-</p> <p>(बी) ग्राहक जैसी स्व-नौकरीपेशा लोग निचले तबके से संबंधित समाज का वह आर्थिक स्तर जिसके खाते छोटे दिखते हैं। शेष</p> <p>(सी) जिसमें केवल मूल ग्राहक ही शामिल होंगे की आवश्यकताएँ पहचान और स्थान का सत्यापन किया जाना है।</p>	<p>जो ग्राहक उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा जा सकता है।</p>	<p>ऐसे ग्राहक जो समस्या उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं औसत से अधिक जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है</p> <p>ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि की प्रकृति और स्थान, देश के आधार पर मध्यम या उच्च जोखिम मूल, धन के स्रोत और उसके ग्राहक प्रोफ़ाइल आदि।</p>

<p>जोखिम श्रेणी के अनुसार ग्राहकों की सूची</p>	<p>(क) वेतनभोगी कर्मचारी जिनके वेतन संरचना अच्छी तरह से परिभाषित है, (बी) वेतनभोगी नकदी वाले कर्मचारी वेतन संरचना (ग) स्वरोजगार वाले समाज के निम्न आर्थिक तबके से संबंधित लोग जिनके खाते दिखाते हैं छोटे शेष और कम कारोबार, (घ) सरकार विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, नियामक और वैधानिक निकाय, वगैरह। (ई) सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम दाखिल नियमित आईटीआर, अच्छा बैंकिंग संबंध, मौजूदा व्यापार रिकॉर्ड किसी भी वित्तीय संस्थाएं आदि.</p>	<p>(a) अधिक ग्राहक 50 रुपये का निवेश लाख जहां पहचान और धन के स्रोत हैं जनता द्वारा समर्थित नहीं आय जैसे दस्तावेज़ रिटर्न, पंजीकृत हस्तांतरण विलेख आदि। (बी) ऐसे ग्राहक जिनके वॉल्यूम में अचानक उछाल आया हो या जिनके निवेश में कोई खास बदलाव न हुआ हो स्पष्ट कारण. (ग) ऐसे ग्राहक जो व्यापार करते हैं व्युत्पन्न. (घ) ऐसे ग्राहक जिनके पास सट्टा आय. (ई) व्यक्ति व्यवसाय/उद्योग या व्यापारिक गतिविधि जहां इसका दायरा या इतिहास गैरकानूनी व्यापार / व्यावसायिक गतिविधि लेन-देन अधिक है, आदि।</p>	<p>(क) अनिवासी ग्राहक, (बी) ट्रस्ट, चैरिटी, गैर सरकारी संगठन और संगठनों दान प्राप्त करना, (c) ऐसी कंपनियाँ जिनके पास निकट पारिवारिक शेरधारिता या लाभकारी हिस्सेदारी हो स्वामित्व, (d) फर्मों साथ 'सोने वाले साथी', (ई) राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) विदेशी मूल, (च) आमने-सामने न होना ग्राहक, और (छ) जिनकी प्रतिष्ठा संदिग्ध है सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध, आदि. (एच) एनपीए ग्राहक</p>
---	--	--	--

अनुलग्नक III: संदिग्ध लेनदेन की सांकेतिक सूची

A. आवास से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की उदाहरणात्मक सूची ऋण:

1. ग्राहक की कानूनी संरचना में कई बार बदलाव किया गया है (नाम परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट संपत्ति में परिवर्तन)। सीट)।
2. अनावश्यक रूप से जटिल क्लाइंट संरचना।
3. स्थापित व्यावसायिक प्रोफाइल के बाहर होने वाले व्यक्तिगत या लेनदेन के वर्ग, तथा अपेक्षित गतिविधियाँ/लेनदेन अस्पष्ट।
4. ग्राहक जानकारी, डेटा प्रदान करने में अनिच्छुक है, दस्तावेज़;
5. झूठे दस्तावेज़, डेटा, ऋण का उद्देश्य, विवरण प्रस्तुत करना हिसाब किताब;
6. प्रारंभिक अंशदान के स्रोत का विवरण देने से इंकार, धन का स्रोत संदिग्ध वगैरह।;
7. व्यक्तिगत रूप से मिलने में अनिच्छुक, बिना पर्याप्त कारणों के तीसरे पक्ष/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना;
8. एचएफसी की ऐसी शाखा/कार्यालय से संपर्क करना, जो ऋण आवेदन में दिए गए ग्राहक के आवासीय या व्यावसायिक पते से दूर है, जब दिए गए पते के नजदीक एचएफसी की शाखा/कार्यालय हो; यदि वह शाखा जिसमें ग्राहक संपर्क करता है, उसी शहर में है या जहां ग्राहक रहता है, तो यह लागू नहीं होता है। दृष्टिकोण ए शाखा से एक और शहर वह है प्राप्त संपत्ति में ऐसा शहर। अर्थात् अंदर भौगोलिक सीमाएँ जैसा परिभाषित द्वारा कंपनी। एफ। असमर्थ को व्याख्या करना या संतुष्ट बहुत तबादलों में खाते का विवरण/एकाधिक हिसाब किताब;
9. बिना किसी उचित अनुमति के असंबंधित तृतीय पक्ष खातों के माध्यम से किया गया प्रारंभिक योगदान औचित्य;
10. ऋण राशि के अंतिम उपयोग के उचित औचित्य के बिना टॉप-अप ऋण और/या इक्विटी ऋण लेना; i. ऋण की मंजूरी के लिए संदिग्ध तरीकों का सुझाव देना। ऋण;
11. जहां लेन-देन आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाते समझ;
12. ऋण के वास्तविक लाभार्थी और फ्लैट के बारे में उचित संदेह हैं। खरीदा गया;
13. फर्जी बैंक खोलकर ऋण राशि का नकदीकरण खाता;
14. को लागू करने के लिए ए ऋण जानने पूरी तरह कुंआ वह संपत्ति/आवास इकाई को होना वित्त पोषण है गया पहले वित्त पोषित किया गया था और वहीं है असाधारण;
15. बिक्री के लिए समझौते में उल्लिखित बिक्री मूल्य प्रचलित मूल्य से असामान्य रूप से अधिक/कम है में क्षेत्र का खरीदना और अगर लेन-देन है मिला अकारण जैसा प्रति बाज़ार अभ्यास;
 - एक ही संपत्ति/आवास इकाई का एकाधिक वित्तपोषण;
16. किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में भुगतान का अनुरोध, जिसका उससे कोई संबंध नहीं है लेन-देन;
17. विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर/दलाल/एजेंट आदि के साथ मिलीभगत करके ग्राहक द्वारा ऋण राशि का उपयोग करना तथा निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना। तय करना।
18. एनजीओ / धर्मार्थ संगठन / लघु / मध्यम प्रतिष्ठान (एसएमई) / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / माइक्रो फाइनेंस ग्रुप (एमएफजी) से जुड़े बहुविध वित्तपोषण / वित्त पोषण। परिवर्तन के लिए लगातार अनुरोध पता;
19. अधिक भुगतान के साथ किशतों का अधिक भुगतान, अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने का अनुरोध मात्रा
20. अचल संपत्ति में उच्च/निम्न कीमत पर निवेश अपेक्षित
21. ग्राहक उन देशों में निगमित है जो धारक को अनुमति देते हैं शेरर.

B. बिल्डर/प्रोजेक्ट से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की उदाहरणात्मक सूची ऋण:

1. बिल्डर कुल लागत की तुलना में एक छोटे ऋण के लिए एचएफसी से संपर्क कर रहा है परियोजना;
2. बिल्डर परियोजना के वित्तपोषण के स्रोत के बारे में बताने में असमर्थ है। परियोजना;
3. विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन/अनुमोदन अवैध साबित हुए हैं। नकली;
4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन अज्ञात या अनुचित निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। व्यक्ति(यों)
5. कर्मचारियों की संख्या या संरचना व्यवसाय के आकार या प्रकृति के अनुरूप नहीं है (उदाहरण के लिए कारोबार का एक कंपनी है अनुचित रूप से उच्च मानते हुए संख्या का कर्मचारी और संपत्ति इस्तेमाल किया गया)।
6. बहु-न्यायालयीय परिचालन वाले ग्राहक जिनके पास पर्याप्त केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निगरानी नहीं है।
7. कानूनी व्यवस्था की स्थापना पर सलाह, जिसका उपयोग स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है (जिसमें ट्रस्ट, कंपनियों की स्थापना या नाम / कॉर्पोरेट सीट या अन्य जटिल समूह में परिवर्तन शामिल है) संरचनाएं)।
8. नकदी या आसानी से हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों में उच्च स्तर के लेन-देन वाली संस्थाएं, जिनमें अवैध धन भी शामिल हो सकता है अस्पष्ट.

नीति की समीक्षा

नीति प्रबंधन द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन है और यदि कोई संशोधन आवश्यक है, तो उसे बोर्ड की मंजूरी के लिए लिया जाएगा। यदि विनियमों में कोई संशोधन है, तो नियामक द्वारा संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद नीति में संशोधन बोर्ड की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

* कृपया ध्यान दें कि नीति में उल्लिखित अनुभाग केवाईसी मास्टर निर्देश के नवीनतम आरबीआई परिपत्र से संबंधित हैं।

